#### नइ ।दल्ला, २/ जनवरा, २०७३

सा.का.नि. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान), उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान), उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान) भर्ती नियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथाविनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अईताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अईताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वीक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरहेता. — वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सक़ेगी। 5. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कर्लाण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची						
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन- सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
आचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान)		साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क'	18600-500- 22100 रु. और प्रैक्टिस- बंदी भत्ता	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिल को जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधा करने के लिए निर्णायक तारीख भ में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त व के लिए नियत की गई अंतिम तान होगी। (न कि वह अंतिम तान होगी स्प्रा, सिक्किम, जम्मू-कर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्र के लाहौल और मणिपुर, नागात त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्र के लाहौल और स्पीति जिले चम्बा-जिले के पांगी उपर अंदमान और निकाबार द्वीप लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के विहित की गई है)। टिप्पण 1 : ज्येष्ठ प्राध्या उपाचार्यों और आचार्यों की श्रे शिक्षकों की संख्या इन श्रेणि पदों की कुल संख्या के प् प्रतिशत से अधिक नहीं होगी टिप्पण 2 : आचार्य के प् विभागाध्यक्ष के रूप में पदा होने की दशा में केवल मान्यत् वाले आयुर्विज्ञान डिग्री अर्ह समतुल्य अर्हता वाले शिक्ष्य ही पद पर नियुक्त किया जा	रित । रत करने तेख तेख चल तेँख चल तैँड, स्मीर प्रदेश तथा वंड, तथा लिए पकों, णी में यों में पचास । द को भिहित ताप्राप्त रता या कों को

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

8	9	10
आवश्यक :	आयु : नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तिये
. क(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्व- विद्यालय या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (जीवाणु	शैक्षिक अर्हताएं : हां	के लिए एक वर्ष।
(1) किसा मान्यताप्राप विश्वविधालय/संस्था स एम.डा. (जावाणु विज्ञान)/एम.डी. (सूक्ष्म जीव विज्ञान)/एम.बी.बी.एस. साथ ही एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान और जीवाणु विज्ञान) या एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म विज्ञान) या समतुल्य। या		2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ख(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान)/बी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान	n na stran fransk serie Serie († 1997) Serie († 1997) Serie († 1997) Serie († 1997)	के उनका के स्वतन्त्र के उनको के के के कि किया का जिस्सा के कि कि के के के के के
जीवाणु विज्ञान) या समतुल्य। या ग (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी.		
(आयुर्विज्ञान सृक्ष्म जीव विज्ञान) या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान)/बी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान) या समतुल्य।		
II. स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव जिसमें 4 वर्ष का अनुभव किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहयुक्त आचार्य के रूप में होना चाहिए।		
टिप्पण 1 :—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
टिप्पण 2:—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए		
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
वांछनीय:— इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में एक अनुसंधान प्रकाशन हो।		

11

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

12

भर्ती को ुद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

लिक प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे

 केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

- (ii) जिन्होंने 16400-20000 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है; और
- (ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं।
- II. उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान) की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

दि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना					भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा			
13		S.			14 वसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना			
तमिति : 1. गृह सचिव, चं	डीगढ़ प्रशासन जिन शिक्षा औ	5 लिए समूह 'क' वि र अनुसंधान, चंडीग ज्ञान महाविद्यालय औ	—अध ढ् प्रशासन —सर	आवश्यक यक्ष दस्य				
		3	4	5	6 7			
1	2	साधारण केन्द्रीय	16350-450- 18600-500-	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक नहीं। हां (सरकारी सेवकों के लिए केन्द्रीय			

6	Æ
भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	
करने के लिए नियत की गई अंतिम	
तारीख होगी। (न कि वह अंतिम	
तारीख जो असम, मेघालय,	and the second second
अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-	
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,	
हिमाचल प्रदेश के लाहोल और	
स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के	
पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार	
द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के	
लिए विहित की गई है)।	

8	9	10
भावश्यक :	आयु : नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों
	शैक्षिक अर्हताएं : हां	के लिए एक वर्ष।
की अनुसूची में सम्मिलित कोई एक मूल विश्वविद्यालय		
या समतुल्य अर्हता और किसी राज्य आयुर्विज्ञान रजिस्टर		
या भारतीय आयुर्विज्ञान रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत होना		
चाहिए।		
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम.डी. (जीवाणु		
विज्ञान)/एम.डी. (सूक्ष्म जीव विज्ञान)/एम.बी.बी.एस. साथ		
ही एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) या एम.एस.सी.		and the second
(आयुर्विज्ञान सूक्ष्म विज्ञान) या समतुल्य।		
या		
ख(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी.		
(आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) या समतुल्य।		
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी.		and the second second second second
(आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान)/बी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान		
जीवाणु विज्ञान) या समतुल्य। 🕙		
या		with some the main from the second
ग(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान		n - com miran enclater a campa a com
सूक्ष्म जीव विज्ञान) या समतुल्य।		
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी.		
(आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान)/डी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान		and the second
सूक्ष्म जीव विज्ञान) या समतुल्य।		
(iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता		an tainte (1982)*10 segui - 19
में किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था		্রারাগার্ট সাগায়েন (মার্চা
में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में 10		the state of the state
वर्ष का शिक्षण अनुभव।		
टिप्पण 1 :अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों को दशा में संघ		
लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार की जा सकती हैं।		
टिप्पण 2:		
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के		

अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

8

वांछनीय : --- इनडैक्स मैडिक्स/राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनुक्रमांकित कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

11

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति ( प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) : I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी :---

(क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

12

- (ii) जिन्होंने 14300-18300 रु. के या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 2 वर्ष नियमित सेवा की है, और
- जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए (ख) विहित शैक्षिक और अन्य अईताएं हैं।
- II. प्राध्यापक की श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी पर भी जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।.

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

•	13	14
पुष्टि के संबं	ध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति	प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आ श्यक है।

—अध्यक्ष

1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन

2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन-सदस्य

224 GI/2003-8

समिति:

THE GAZETTE OF INDIA : FEBRUARY 8, 2003/MAGHA 19, 1924

[PART II-SEC. 3(i)]

1.

2

100 4

[= 8-

	1	2		
		3		

300

 प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ — सदस्य

 संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल — सदस्य

1	2	3	4	5	6	and the second second
ज्येष्ठ प्राध्यापक	02*(2002)	साधारण केन्द्रीय	14300-400-	लागू नहीं होता	50 वर्ष से अधिक	नहीं। न
(सूक्ष्म जीव	*कार्यभार	सेवा समूह 'क'	15900-450-		सरकारी सेवकों के	लिए केन्द्रीय
विज्ञान)	के आधार	राजपत्रित	18150 ফ্.		सरकार द्वारा जारी	किए गए
		अननुसचिवीय	और प्रैक्टिस		अनुदेशों या अ	ादेशों के
	किया जा		बंदी भत्ता		अनुसार 5 वर्ष तव	
	सकता है।				की जा सकती है।	
		1.005			टिप्पणः अ	
					अवधारित करने	
					जिपपारित करन	
			Sec. 10		अभ्यर्थियों से अ	
					अभ्याययां स अ करने के लिए नि	
- 4 f m - 1 f		and the state of the			अंतिम तारीख होग	
			2 Contractor		वह अंतिम तारीख	
					वह आतम ताराख मेघालय, अरुणा	
					मबालयु, अरुणा मिजोरम, मणिपुर	
					त्रिपुरा, सिक्कि	
			and the second second		त्रिपुरा, सिपिफ कश्मीर राज्य के व	
			and a second		कश्मार राज्य क हिमाचल प्रदेश के	
					हमाचल प्रदेश क स्पीति जिले तथा	
					स्पाति जिल तथा के पांगी उपखंड,	
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			क पागा उपखड, निकोबार द्वीप त	
y by the second		. ×			के अभ्यर्थियों के	
					क जम्पायपा फ की गई है)।	1010 19101
		-			का गइ ७/ ।	
Assess and					0	10
8					9	
आवश्यकः	2.1	and the second			हीं होता	एक वर्ष
<ul><li>(i) भारत</li></ul>	तीय आयुर्विज्ञान	। परिषद् अधिनियम	1956 (1956 का	102)		
की	अनुसूची में सा	म्मलित कोई मूल	विश्वविद्यालय या			
	तल्य अर्हता औ	र किसी राज्य आर्	र्विज्ञान रजिस्टर या			
सम	ु तीय आयर्विजा	न रजिस्टर में रजि	स्ट्रीकृत होना चाहि	ए।		
सम	119 011-11-1911		ग से एम.डी. (जी	वाणु विज्ञान)/		
भार	ती प्रान्थतापाप्त	विश्वविद्यालय/संस्थ				
भार (ii) किर	वी मान्यताप्राप्त	विश्वविद्यालय/संस्थ व विज्ञान)/एम.बी.ब	ी.एस. साथ ही एम	ा.एस.सी.		
भार (ii) किर एम	ती मान्यताप्राप्त .डी. (सक्ष्म जी	व विज्ञान)/एम.बी.ब	ी.एस. साथ ही एम	।.एस.सी. - न्यथ्य	and a second	an a
भार (ii) किर एम (अ	ती मान्यताप्राप्त .डी. (सूक्ष्म जी ायुर्विज्ञान जीवा	व विज्ञान)/एम.बी.ब णु विज्ञान) या एम.प	ी.एस. साथ ही एम	।.एस.सी. - न्यथ्य	and in the b	f emandratio
भार (ii) किर एम (अ विद्य	ती मान्यताप्राप्त .डी. (सूक्ष्म जी ायुर्विज्ञान जीवा ज्ञान) या समतुल्	व विज्ञान)/एम.बी.ब 1णु विज्ञान) या एम.ए न्य।	ी.एस. साथ ही एम	।.एस.सी. - न्यथ्य		
भार (ii) किर एम (अ विद्य	ती मान्यताप्राप्त .डी. (सूक्ष्म जी ायुर्विज्ञान जीवा ज्ञान) या समतुल् या	व विज्ञान)/एम.बी.ब 1णु विज्ञान) या एम.ए न्य।	nे.एस. साथ ही एम् (स.सी. (आयुर्विज्ञा	ा.एस.सी. न सूक्ष्म		ti cana montri i outra priov

8

(ii)	किसी	मान्यत	ाप्राप्त	विश	ববিঘ	लय/स	रंस्था र	ते पी	.एच.र्ड	t.
	(आयु	र्विज्ञान	जीवा	णु वि	वज्ञान)	/बीए	स.सी.	(अ	ायुर्विज्ञा	न
	जीवाण	विज्ञान	) या	समत	ल्य।	X	D			

या

- ग(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान) या समतुल्य।
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच.डी.
   (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान) बी.एस.सी. (आयुर्विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान) या समतुल्य।
- (iii) स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में किसी मान्यताप्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/सीनियर रेजिडेंट/ परिदर्शक/ ट्युअर के रूप में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

11	12	
सीथी भर्ती	लागू नहीं होता	and the second
साथा नगा		
13	14	and the second

आवश्यक है।

( पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति \ समिति ) :

- 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —अध्यक्ष
- 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ प्रशासन -- सदस्य
- प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़
   सदस्य
- संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य

[फ़ा. सं. वी-24011/8/2002-एम ई डेस्क-II] एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

301

्यत संन्यंभुवस्य

1. 1. 1. 1. 2.

 $\left| \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 

a anter accentra di Acceleration Acceleration estato di Acceleration

en als parts parts a

and the second second

Strange Contraction

and the second second second

uper destruction and

gogi a static all solar

in and the standard star

1.2. 20

ti

Ē

TE

Į.

## New Delhi, the 27th January, 2003

G. S. R. 61.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor (Microbiology), Reader (Microbiology) and Senior Lecturer (Microbiology) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Rathery :--

1. Short title and commencement .---(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Microbiology), Reader (Microbiology) and Senior Lecturer (Microbiology), (Group'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said, Schedule.

A Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification .- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entred into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

	S	CHEDULE			
Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1. Professor (Microbiology)	01* (2002)General Central Service*Subject to variationGroup 'A' Gazetteddependent onNon-Ministerial.workload.Vorterial		Rs. 18,600-500-22,100/- PLUS Non-practicing Allowance only for Medical Graduates		
Whether selection by merit or Selection-cum-seniority or Non-selection post	Age limit for direct re	coruits	Whether benefit of added year's o Service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972		
(5)	(6)		(7)		
Not applicable	in accordance with the in by the Central Governme Note : The crucial date fo	nt servants upto five year's structions or orders issued	Yes.		

भाग 11-खण्ड 3(i)] भारत का रा	जपत्र : फरवरी 8, 2003/माघ	303	
	(6)		
Arunachal Pradesh Tripura, Sikkim, J Kashmir State, La sub-division of ( Pradesh, Andan Lakshadweep). Note 1—The Stre Senior Lecturers, J Medical qualificat total number of po Note 2—In the designated as Hea with recognised I qualification or e	Note 1—The Strength of teachers in the grade of enior Lecturers, Readers and Professors with Non- Medical qualifications shall not exceed 30% of the otal number of posts in these grades. Note 2—In the event the post of Professor is lesignated as Head of Department, only teachers with recognised basic university medical degree qualification or equivalent qualification shall be appointed to the post.		
Educational and other qualifications equired for direct recruits	Whether age and educational qualifica- tions prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by pro- motion or by deputa- tion/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
<ul> <li>Essential:</li> <li>I-A(i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102)</li> <li>of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register;</li> <li>A (ii) M D (Bacteriology) / M.D.</li> </ul>	Age : No Educational Qualifica tions : Yes	One year direct	Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
(Microbiology)/M.B.B.S. with M.Sc. (Medical Bacteriology) or M.Sc. (Medical Microbiology) from a recognized University/Institution or			Has no state of the state of th
equivalent. OR			
B. (i)M.Sc. (Medical Bacteriology) from a recognised University or equivalent.			
<ul> <li>B. (ii) Ph.D. (Medical Bacteriology)/B.Sc. (Medical Bacteriology) from a recognised University/Institution or equivalent. OR</li> </ul>			
C (i) M.Sc. (Medical Microbiology) from a recognised University/Institution o equivalent.	a r		

[PART II-SEC. 3(i)]

C (ii) Ph.D. (Medical Microbiology)/D.Sc. (Medical Microbiology) from a recognized University/Institution or equivalent.

(8)

II. Ten year's experience in the profession after acquiring post-graduate qualification, out of which four year's should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution.

## Note 1:

Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 :

The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

## Desirable :

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publication in International Journals.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making Recruitment

		Recruitment
12	13	14
<ul> <li>Promotion/Deputation (including Short-term Contract)</li> <li>I. Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :— <ul> <li>(a) (i) holding analogous posts on regular basis</li> <li>OR</li> <li>(ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400–20000/- or equivalent; and</li> <li>(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).</li> </ul> </li> </ul>		Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

	12	2		
	(Microbiology) with t in the grade will also outsiders and in cas	ficer in the grade of Reader two year's regular service be considered alongwith se he/she is selected for post, the same shall be filled by promotion.		Andreas Angeles and Angeles Angeles and Angeles Angeles and Angeles Angeles and Angeles Angeles and Angeles Angeles and Angeles Angeles and Angeles
	The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.			
	of Deputation/Contra held immediately pre- the same or some other of the Central Govern exceed five year's. T appointment by deput contract) shall be not	/Contract including period act in another ex-cadre post ceding this appointment in er organization/department nment, shall ordinarily not he maximum age limit for tation (including short term t exceeding fifty six year's date of the receipt of	precessing	
-	1	2	3	4
2.	Reader (Microbiology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 16,350-450-18,600-500- 20,100/- PLUS Non-practicing Allowance for Medical Graduates
_	5	6		7
-	5	Not exceeding fifty year's.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Yes.
Not applicable		(Relaxable for Governmer in accordance with the ins by the Central Governmer	nt servants upto five year's structions or orders issued	ara a su a su ann a gularainn an an ann an an an an an an an an an
		shall be the closing date a from candidates in India prescribed for those Arunachal Pradesh, Mize Tripura, Sikkim, Ladakl Kashmir State, Lahaul a sub-division of Chamba da Andaman and Nicobar Is	h Division of Jammu and nd Spiti district and Pangi istrict of Himachal Pradesh,	<ul> <li>A. C. C. S. S.</li></ul>

qual of t Med of 19 a Sta Med (ii) D.M (Mic (Med Mic: Univ	asic University or equivalent fication included in any one the Schedules to the Indian ical Council Act, 1956 (102 56) and must be registered in te Medical Register or Indian ical Register; . (Bacteriology) / M.D. robiology)/M.B.B.S. with M.Sc. ical Bacteriology) or M.Sc. (Medical robiology) from a recognized	(9) Age : No Educational Qualifica- tions : Yes	(10) One year for direct recruits	(11) Promotion/deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.
Univ	concept inom a recugnized		ten symptot in the	
DOMES	ersity/Institution or equivalent.			
	OR			
	(Medical Bacteriology) from a gnized University or equivalent.	~		
(ii) Ph.E (Mea reco	. (Medical Bacteriology)/B)Sc. lical Bacteriology) from a gnized University/Institution or alent.	—(D)		
	CR			
reco	. (Medical Microbiology) from a gnized University/Institution or alent.			
(Mee	. (Medical Microbiology)/D.Sc. lical Microbiology) from a gnized University/Institution or			
equiv	alent.			
conc postg Profe recog	year's teaching experience in the erned speciality after acquiring raduate qualification as Assistant ssor/Senior Lecturer/Lecturer in a mized Medical College/Teaching ution.			
Note 1:			40) #4-4 de 1997 -	
the Union I	ons are relaxable at the discretion of Public Service Commission in case es otherwise well qualified.			
Note 2 :	es omerwise wen quanneu.			
	cation(s) regarding experience is/			
Public Ser	ble at the discretion of the Union vice Commission in the case of belonging to the Scheduled Castes			
	eduled Tribes. If at any stage of the Union Public Service Commission			
	pinion that sufficient number of			
candidates the requisi	from these communities possessing te experience are not likely to be fill up the posts reserved for them.			
Desirable			The second second	
	four Research Publications indexed edicus/National Journals.			

I.

## (12) Promotion/Deputation (including Short-term Contract)

- Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :---
- (a) (i) holding analogous posts on regular basis
  - OR
  - (ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 14300– 18300/- or equivalent; and
- (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).
- II. The Departmental Officer in the grade of Senior Lecturer (Microbiology) with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/ she is selected for appointment on the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five year's. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications).

(13)			
Group 'A'	Departmenta	ıl	
Promotion	Committee (	for	

considering confirmation) :
1. Home Secretary, Chandigarh

- Administration Chairman
- 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration —Member
- 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member
- Professor and Head of the Concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh —Member

(14)

Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

preceding

(1)	(2)	(3)	man and (4) as and the second state
<ol> <li>Senior Lecturer (Microbiology)</li> </ol>	02* (2002) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 14,300-400-15,900-450- 18,150/- plus Non-practicing Allowance only for Medical Graduates
		1. T	
(5)	(6)		(7)
Not applicable	Not exceeding fifty year's.	T-F-S-1	No
	(Relaxable for Government in accordance with the instr by the Central Government)	uctions or orders issued	

224 GI/2003-9

(6)	×.
Note : The crucial date for determining the age limit	
shall be the closing date for receipt of applications	
from candidates in India (and not the closing date	
prescribed for those in Assam, Meghalaya,	
Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,	
Tripura, SIkkim, Ladakh Division of Jammu and	
Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi	
sub-division of Chamba district of Himachal	
Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or	
Lakshadweep).	
Note 1: The Strength of teachers in the grade of	
Senior Lecturers, Readers and Professors with Non-	
Medical qualifications shall not exceed 30% of the	
total number of posts in these grades.	

(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : I-A(i) A basic University or equivalent	Not applicable	One year	Direct recruitment
qualification included in any one			
of the Schedules to the Indian	· ·		
Medical Council Act, 1956 (102			
of 1956) and must be registered in			
a State Medical Register or Indian			
Medical Register.			
(ii) M.D. (Bacteriology) / M.D.			
(Microbiology)/M.B.B.S. with M.Sc.			
(Medical Bacteriology) or M.Sc.			
(Medical Microbiology) from a			
recognized University/Institution or			
equivalent.			
OR			
B. (i)M.Sc. (Medical Bacteriology) from a			
recognized University/Institution or	0		
equivalent.	)		
(ii) Ph.D. (Medical Bacteriology)/B.Sc.			
(Medical Bacteriology) from a			
recognized University/Institution or			
equivalent.			
OR			
C (i) M.Sc. (Medical Microbiology) from a			
recognized University/Institution or			
equivalent.			
(ii) Ph.D. (Medical Microbiology)/D.Sc.			
(Medical Microbiology) from a			
recognized University/Institution or equivalent.			
II. Three year's teaching experience in			
concerned speciality after acquiring			
postgraduate qualification as Lecturer			
Registrar/Senior Resident/			
Demonstrator/Tutor in a Recognized			
Medical College/Teaching Institution.	Contractor States		

(8)

Note ; Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(10)	(13)		(14)
(12) Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :		Consultation with Union Public Service Commi- ssion is necessary.
	1. Home Secretary, Chandigarh Administration 2. Secretary, Medical Education	—Chairman	
	and Research, Chandigarh Administration	-Member	
	3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh 4. Professor and Head of the	-Member	
	concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh	Member	. V-24011/8/2002-ME Desk-J

[No. V-24011/8/2002-ME Desk-II] S.K. MISHRA, Under Secy. [TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA]

# <u>Government of India</u> <u>Ministry of Health and Family Welfare</u> (Department of Health)

New Delhi, the \_\_\_\_\_, 2004

CORRIGENDUM

G.S.R.\_\_\_\_\_. In notification of the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Department of Health No. GSR-61, dated 27<sup>th</sup> January, 2003 published in the Gazette of India Part-Il Section 3 Sub section (i) at pages 294-309 and published on 08<sup>th</sup> February, 2003:-

(i) at pages 294 and 302 under clause 1 for "2002" read "2003".
 (ii) at pages 296, 298, 301, 303, 306 and 309 under along a 5.

at pages 296, 298, 301, 303, 306 and 308 under clause 8 for "B.Sc." read "D.Sc."

Clim

## [F.No. V-24011/8/2002-ME-Desk-II]

#### (S.K. MISHRA)

Under Secretary to the Government of India

Dated

No. V.24011/ /2003/ME Desk-II

A copy is forwarded to the Manager, Govt. of India Press, Maya Puri Ring Road, New Delhi, with the request that the above corrigendum may kindly be published in part-II Section 3 Sub section (i) of the next issue of the Gazette of India and 10 spare copies of the printed Gazette may kindly be supplied to the Director Principal, Government Medical College & Hospital, Sector-32, Chandigarh for their record.

The bill of the spare copies of the Gazette may also be sent to the Director Principal, Government Medical College & Hospital, Chandigarh for payment.

## (S.K. MISHRA)

Under Secretary to the Government of India

No. V.24011/	/2003/ME Desk-II Dated	
	A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-	
1.	The Secretary to the Government of India, Department of Personnel & Training New Delhi.	ıg,
2.	The Secretary to the Government of India, Ministry of Law Justice & Compared Affairs (Legislative Department)	ny
3.	The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.	
4.	The Secretary, Medical Education & Research, Chandigarh Administratic Chandigarh.	n,
5.	Chief Librarian, Parliament Library, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.	
6.	Chief Librarian, Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.	
7.	The Director Principal, Government Medical College & Hospital, Chandigarh,	
8	The Deputy Director National Modical Library, Angari Nagar New Dalhi	

The Deputy Director, National Medical Library, Ansari Nagar, New Delhi.

## (S.K. MISHRA)

Under Secretary to the Government of India

[भाग II-खण्ड 3(i)]

## नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 319.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान), उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान), उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान), उपाचार्य (सूक्ष्म जीव विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (सूक्ष्म जीव विज्ञान) (समूह 'क' राजंपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 में,—

(क) नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002'' अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक रखे जाएंगे।

(ख) क्रम सं. 1, क्रम सं. 2 और क्रम सं. 3 के पदों के सामने स्तंभ 8 में ''बी.एस.सी.'' के स्थान पर ''डी.एस.सी.'' पढ़ा जाएगा।

[सं. वी. 24011/8/2002-एम ई डेस्क-Ⅱ] एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 61, तारीख 27 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया है।

New Delhi, the 8th September, 2004

**G.S.R. 319.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Microbiology), Reader (Microbiology) and Senior Lecturer (Microbiology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Microbiology), Reader (Microbiology) and Senior Lecturer (Microbiology) (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Microbiology), Reader (Microbiology) and Senior Lecturer (Microbiology) (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002;

(a) In sub-rule (1) of rule 1, for the figures "2002", the figures "2003" shall be substituted.

(b) against the posts at serial numbers 1, 2 and 3 in column 8, for "B.Sc." read "D.Sc."

[No. V. 24011/8/2002-ME Desk-II] S.K. MISHRA, Under Secy.

Foot note: The principal rules were published vide number G.S.R. 61, dated the 27th January, 2003.

## नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 320.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (संवेदनाहरण), उपाचार्य (संवेदनाहरण) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (संवेदनाहरण), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, आचार्य (संवेदनाहरण), उपाचार्य (संवेदनाहरण) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (संवेदनाहरण), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़, में आचार्य (संवेदनाहरण), उपाचार्य (संवेदनाहरण) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (संवेदनाहरण), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिन्हें इसके पश्चात् इसमें उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 1 के उपनियम (1) में ''2002''अंकों के स्थान पर ''2003'' अंक रखे जाएंगे।

> [सं. वी. 24011/8/2002-एम ई डेस्क-Ⅱ] एस. के. मिश्रा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 63, तारीख 29 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया है।